झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

अधिसूचना

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जमीन की खरीद–बिक्री पर रोक है, जिसके कारण झारखण्ड राज्य के अनुसचित जनजाति के लोगों को सरकारी बैंकों से ऋण लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कृषि ऋण, गृह ऋण तथा शिक्षा ऋण सहित अन्य ऋण बैंकों के माध्यम से सुलभ तरीकों से उन्हें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

2. अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामले भी प्रकाश में आ रहे है। पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती जिलों में गैर आदिवासियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के जमीन का अवैध हस्तांतरण हो रहा है जिसपर रोक लगाना आवश्यक है।

3. अतः झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की दिनांक–27.09.2021 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उपरोक्त दो विषयों पर अपना परामर्श देने हेतु एक उप समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1. प्रो० स्टीफन मरांडी, सदस्य विधानसभा–सह–सदस्य झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद्	–	अध्यक्ष
2. श्री, बन्धु तिर्की, सदस्य विधानसभा–सह–सदस्य झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद्	–	सदस्य
3. श्री दीपक बिरूवा, सदस्य विधानसभा–सह–सदस्य झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद्	–	सदस्य
4. श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, सदस्य विधानसभा–सह–सदस्य झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद्	–	सदस्य
5. श्री चमरा लिण्डा, सदस्य विधानसभा–सह–सदस्य झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद्	–	सदस्य

4. **उप समिति का कार्यकाल :–**
उप समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन माह तक का होगा। यह उप समिति उक्त अवधि में अपना सुझाव झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् के समक्ष उपस्थापित करेगी।

5. **उप समिति के कार्य एवं दायित्व :–**
   1. कृषि ऋण, गृह ऋण तथा शिक्षा ऋण सहित अन्य ऋण बैंकों के माध्यम से सुलभ तरीकों से उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों के साथ विचार–विमर्श कर उक्त मामले में अपना परामर्श परिषद् को देगी।
   2. अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामलों की जाँच करेगी तथा इसपर रोक लगाने हेतु अपना परामर्श परिषद् को देगी।

6. **उप समिति के सदस्यों को सुविधाएँ :–**
   1. आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रांची के द्वारा समिति के कार्यों में आवश्यक सहयोग एवं सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(कमल किशोर सोन) 20/10/2021
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 2522 राँची, दिनांक– 20/10/2021

प्रतिलिपि :– माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण रहित) के आप्त सचिव/उप समिति के माननीय अध्यक्ष एवं समिति के सभी माननीय सदस्यगण/झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् के सभी माननीय सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/10/2021
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 2522 राँची, दिनांक– 20/10/2021

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/10/2021
सरकार के सचिव।